कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45005/स्थानान्तरण– पदस्थापन/2022 दिनांक 20.12.2022 द्वारा श्रीमती रजनी यादव, प्रधानाचार्य, राउमावि सिरयानी (216236), जिला अलवर का स्थानान्तरण राउमावि सोमका (211697), पहाडी कामां जिला भरतपुर एवं श्री मुकेश कुमार, प्रधानाचार्य राउमावि सामडा (216300) अलवर का स्थानांतरण राउमावि जोतरूहाला (211699) पहाडी कामां जिला भरतपुर किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती रजनी यादव एवं श्री मुकेश कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या क्रमशः 476/2023 एवं 527/2023 दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित समेकित निर्णय दिनांक 24.01.2023 द्वारा याचिकार्थीगण को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा याचिकार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार याचिकार्थीगण के स्थान पर पदस्थापित प्रधानाचार्यों क्रमशः मुनेश यादव एवं अविनाश शर्मा के संबंध मे जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त किए जाने के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थीगण (पति–पत्नी) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उनके द्वारा विद्यालय हित में किए गए विकास कार्यों एवं श्री मुकेश कुमार के राज्यस्तरीय भामाशाह प्रेरक पुरस्कार से सम्मानित होने को मद्देनजर रखते हुए स्थानांतरण आदेश निरस्त कर पूर्ववत पदस्थापित रखे जाने की मांग की गई है।

याचिकार्थीगण के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 14.07.2022 जो पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किए गए हैं, में राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित कार्मिकों को स्थानांतरण में शिथिलता प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं है। याचिकार्थीगण को अलवर जिले के समीपवर्ती जिले भरतपुर में एक ही ब्लॉक में करीब 22 कि.मी. दूर पदस्थापित किया गया हैं। जहां तक याचिकार्थीगण द्वारा विद्यालय हित में किए गए विकास कार्यों का प्रश्न है तो संस्था प्रधान होने के नाते याचिकार्थीगण का यह पदीय दायित्व है कि वे विद्यालय उन्नयन एवं विकास के लिए हरसंभव प्रयास करें। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उक्त आधार पर इनका अन्यत्र स्थानांतरण ही नहीं किया सकता। निजी प्रत्यर्थी सं. 03 क्रमशः मुनेश यादव एवं अविनाश शर्मा के संबंध में जारी स्थानांतरण आदेश के निरस्त किए जाने का यह अभिप्राय नहीं है कि याचिकार्थीगण से संबंधित आलोच्य स्थानांतरण आदेश को भी निरस्त किया जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) प्रकरण में अवधारित किया गया है कि "If the competent authority issued transfer Orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer Order were passed on the request of the employees concerned." राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है किसी भी लोकसेवक को जो हस्तान्तरणीय पद पर कार्यरत है, एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी द्वारा किये गए स्थानान्तरण आदेश से उसके विधिक अधिकारों या सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। याचिकार्थीगण राज्य सेवा के अधिकारी हैं और सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता हैं। उक्तानुसार याचिकार्थीगण श्रीमती रजनी यादव एवं श्री मुकेश कुमार, प्रधानाचार्य के अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किए जाकर निस्तारित किए जाते है। सभी पक्षकार सूचित हों।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/476 व अन्य/2023/02 दिनांकः– 14. FEB. 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर/अलवर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक भरतपुर/अलवर।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. श्रीमती रजनी यादव, स्थानांतरणाधीन प्रधानाचार्य, राउमावि सोमका, पहाडी कामां जिला भरतपुर।
12. श्री मुकेश कुमार, स्थानांतरणाधीन प्रधानाचार्य, राउमावि जोतरूहाला, पहाडी कामां जिला भरतपुर।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Created By: Sign Doc